न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 36/2021

GCMS NO. : 2021/85

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. अमरसिंह पुत्र फेफसिंह जाति राजपूत निवासी घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली।		1. रघुवीरसिंह पुत्र पूरणसिंह 2. उम्मेदसिंह पुत्र पूरणसिंह 3. बाबूकंवर पत्नी पूरणसिंह जाति राजपूत निवासी घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 03/08/2021

उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय : दिनॉकः 23/12/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा घोडावड, पटवार हल्का घोडावड, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 135 क्षैत्रफल 20.6470 हैक्टर किस्म चाही सोयम स्थित है जिसमें सायल का 77/510 वां हिस्सा है तथा इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 131 क्षैत्रफल 7.3410 हैक्टर किस्म चाही सोयम खसरा नम्बर 132 रकबा 0.0809 हैक्टर गै.मु., खसरा नम्बर 133 रकबा 3.6341 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.8741 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 155 रकबा 2.4038 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.0890 हैक्टर गै0 मु0, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.0728 हैक्टर गै0 मु0, खसरा नम्बर 162 रकबा 2.9137 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.0647 हैक्टर गै0 मु0, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.0405 हैक्टर गै0 मु0, खसरा नम्बर 167 रकबा 1.6268 किस्म चाही सोयम कुल खसरा 11 कुल क्षेत्रफल 19.1414 हैक्टर आई हुई है जिसमे सायल का 1/6 वां हक हिस्सा हैं इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि में सायल के अलावा अन्य सहखातेदार काश्तकार है। सायल अपने हक हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं उपयोग/उपभोग करता आ रहा है। [illegible] जमाबन्दी साथ पेश है। सायल के हक हिस्से की भूमि के चारो ओर सायल स्वयं द्वारा अपने खर्चे से तारबन्दी कर रखी है तथा सेन्डवॉल से दीवार बना रखी है इस प्रकार सायल अपनी खातेदारी की उक्त भूमि के चारो और हदबन्दी कर रखी है जो मौके के फोटोग्राफस् इस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। गैरसायलान जिनका वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उपरोक्त खसरा नम्बर व रकबा की सम्पूर्ण कृषि भूमि के न तो खातेदार है न ही सहखातेदार है न ही उपखातेदार है तथा गैरसायलान का वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा फिर भी गैरसायलान जो कि शक्ति व संख्या में ज्यादा है सायल जो कि वृद्ध एवं कमजोर व्यक्ति है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए गैरसायलान आये दिन सायल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी के उपयोग/उपभोग मे बाधा अडचन पैदा करते रहते है एवं हस्तक्षेप करते है तथा गैरसायलान सायल को आये दिन ऐलानिया धमकीया देते है कि देर सवेर मौका पाकर तुम्हारी खातेदारी की वादग्रस्त आराजी पर जबरन अतिक्रमण कर कच्चा–पक्का निर्माण कर देगे एवं तुम्हे इस वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल कर देगे। इसलिए गैरसायलान के उक्त अवैध कृत्यो को रोकने के लिये एवं अपनी खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हेतू सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का सायल की और से खिलाफ गैरसायलान के सादर पेश है। दिनांक 22/07/2021 को गैरसायलान सायल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी पर आये व आते ही सायल को उनकी खातेदारी की भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया तब सायल ने उनको ऐसा करने से मना किया तो गैरसायलान ने ऐलानिया धमकी दी कि हम तुम्हे यहां से बेदखल करके रहेगे तथा हम तुम्हारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर अतिक्रमण कर कच्चा–पक्का निर्माण करके रहेगे तथा तुम्हे तेरे हक हिस्से की भूमि मे न तो फसल बोने देगे व न ही फसल से सम्बन्धित तमाम कार्य करने देगे। जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदि गैरसायलान सायल को अपने हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है या लाठी एवं लकड़ी के बल पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा कर कच्चा–पक्का निर्माण कर देते है या सायल को उसके हक हिस्से की भूमि में फसल बोने मे एवं फसल से सम्बन्धित तमाम कार्य करने में बाधा अडचन व्यवधान हस्तक्षेप पैदा करते है तो अपूरणीय क्षति सायल को होना सुनिश्चित है एवं सायल द्वारा गैरसायलान के उक्त अवैध कृत्यो का मौके पर विरोध करेगा तो लडाई झगडा टन्टा फसाद होगा तथा मौके पर खून खच्चर होने की पूर्ण संभावना है जिससे विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी एवं पेचीदगिया बढेगी इसलिए गैरसायलान के उक्त अवैध कृत्यो को रोकने हेतू सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थनापत्र मे दर्ज तथ्यो, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात से तथा सायल उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार होने तथा मौके पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष में प्रमाणित है। वादी प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो का मौके पर विरोध करेगा तो मौके पर विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी एवं पेचीदगिया बढेगी इसलिए इन तमाम परिस्थितियो में सायल के पक्ष में व गैरसायलान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई नि[illegible] के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र मय [illegible] व दस्तावेजत पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या [illegible] वर्णित [illegible] नम्बर 135 क्षैत्रफल 20.6470 हैक्टर किस्म चाही सोयम स्थि[illegible] का 77/510 वां हिस्सा है तथा इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 131 क्षैत्रफल 7.3410 हैक्टर किस्म चाही

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:40 IST
Reason: SelfAttested

सोयम खसरा नम्बर 132 रकबा 0.0809 हैक्टर गै.मु., खसरा नम्बर 133 रकबा 3.6341 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.8741 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 155 रकबा 2.4038 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.0890 हैक्टर गै0 मु0, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.0728 हैक्टर गै0 मु0, खसरा नम्बर 162 रकबा 2.9137 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.0647 हैक्टर गै0 मु0, खसरा नम्बर 164 रकबा 0. 0405 हैक्टर गै0 मु0, खसरा नम्बर 167 रकबा 1.6268 किस्म चाही सोयम कुल खसरा 11 कुल क्षेत्रफल 19.1414 हैक्टर आई हुई है जिसमे सायल का 1/6 वां हक हिस्सा मे सायल काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य खडाई बुवाई कटाई निराई गुडाई सिंचाई आदि करे या करावे एवं उपयोग/उपभोग करे तो उसमे गैरसायलान उनके नोकर-चाकर, हाली एजेन्ट, रिश्तेदार परिवार के सदस्य किसी प्रकार से कोई बाधा अडचन व्यवधान हस्तक्षेप इत्यादि न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे तथा सायल के हक हिस्से की भूमि पर गैरसायलान जबरदस्ती अतिक्रमण कर कच्चा-पक्का निर्माण नही करे तथा न ही सायल को उसके हक हिस्से की खातेदारी भूमि लाठी लकडी एवं डण्डो के बल पर बेदखल नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे तथा अन्य कोई अनुतोष सायल प्राप्त करने का अधिकारी हो दिलाया जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 01 से 03 को बार-बार रूक-रूक कर आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील वादीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** प्रार्थी के वाद-पत्र, हस्तगत प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी वादग्रस्त आराजी के अन्य सह-खातेदारों में से एक सह-खातेदार है जिनके द्वारा वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2077-80 ग्राम घोडावड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सह-खातेदारी की शामलाती आराजी है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह-खातेदारी की अविभाजित आराजी में प्रत्येक सह-खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अतः मूल वाद के अनुतोष के [illegible] टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अविभाजित आ[illegible] प्रार्थी का हिस्सा किस स्थान पर है यह सुनिश्चित किया जा[illegible] नहीं [illegible] ऐसी स्थिति में प्रार्थी/सायल यह साबित करने में विफल र[illegible] प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/सायल के पक्ष में है। फलतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

2. **सुविधा का संतुलनः**– चुंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी/सायल के विरूद्ध साबित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी/सायल के साथ अन्य व्यक्ति भी सह–खातेदारान दर्ज है। अतः संपूर्ण आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित होना नहीं माना जा सकता। वादग्रस्त आराजी अविभाजित संयुक्त सह–खातेदारी भूमि है अतः किसी विशिष्ट भू–भाग पर प्रार्थी को सुविधा का संतुलन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता जबकि अन्य सह–खातेदारान भी पक्षकार संयोजित नहीं है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि पूर्व विवेचित दोनो बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है। साथ ही अविभाजित शामलाती आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अतः किसी भी सह–खातेदार को कानूनन विभाजन से पूर्व भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर एकमेव अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहे है कि अविभाजित सह–खातेदारी आराजी में यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उन्हें किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 23/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:40 IST
Reason: SelfAttested